प्रेस नोट
जनपद सोनभद्र
दिनांक-23.04.2024

एसओजी व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस टीम को मिली सफलता, 02 नफर अन्तर्रजनपदीय ठग को किया गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु के भिन्न भिन्न आकृति के कूट रचित अवैध सिक्के (मुगल कालीन/ पुराना सिक्का) कुल 06 किलो 700 ग्राम बरामद-

आज दिनांक-23.04.2024 को थाना रॉबर्ट्सगंज व एसओजी की टीम द्वारा चुर्क मोड़ पर संदिग्ध वाहनों/ व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दिया कि कुछ व्यक्ति कांसा/पीतल धातु से बने जाली टाइप के सिक्कों को मुगल कालीन/ पुराना सिक्का बताकर लोगों को ठगने/ बेचने वाले उरामौरा मोहल्ला स्थित एक अहाते में मौजूद हैं। इस सूचना पर घर के खुले हुए छोटे गेट से अहाते में पहुंचकर दबिश दी गयी तो घर में मौजूद दो व्यक्ति खुले दरवाजे से अपने-अपने हाथ में लिए कपड़े के झोला लटकाकर भागना चाहे कि दोनो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति 1. रवि विश्वकर्मा पुत्र स्व. राम लगन विश्वकर्मा निवासी ग्राम पनियागौर थाना अहिरौला जिला आजमगढ़ उम्र 53 वर्ष के कब्जे से झोले में पीले धातु के फारसी टाइप की भाषा में कुछ इबारतें अंकित वाले एक ही प्रकार के 442 सिक्के मिले तथा दूसरे व्यक्ति विजय कुमार अरोरा पुत्र स्व0 लाल चंद निषाद निवासी ग्राम भंभौर, थाना गुलरिहां, जिला गोरखपुर उम्र 50 वर्ष के कब्जे से कपड़ा के झोले में पीले धातु के मानव आकृति बने वाले पीली धातु के 107 सिक्के तथा ONE RUPEE INDIA 1907 अंकित वाले कुल 134 सिक्के मिले। उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0-297/2024 धारा 420 व 231 भादवि व धारा 25 पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 (एंटीक्विटीज ऐंड आर्ट ट्रेजर्स ऐक्ट 1972) का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछने पर दोनों व्यक्ति अलग अलग और एक साथ भी बता रहे हैं कि हमारे (विजय कुमार अरोरा के) मोबाइल में पीली धातु की जो सिक्के दिखाई पड़ रही है वह भी वही ठगी के लिए किए जाने वाले सिक्के हैं, जो भोले भाले पैसे वाले मिल जाते हैं उनको इन सिक्कों में स्वयं द्वारा चिपकाई गई कुछ सोना मिक्स

धातु को काटकर चेक कराने हेतु देते हैं, चेक करने पर उसमें कुछ सोना का अंश पाया जाता है किंतु असलियत में और सभी सिक्कों में सोना होता ही नहीं होता है, जितना चिपकाया होता है उसी में सोने का कुछ अंश होता है, उसी पर भोले भाले लोग विश्वास कर लेते हैं और हमारा सिक्का मंहगे दामों पर खरीद लेते हैं। इस प्रकार हम लोग पीतल का सिक्का मिक्स सोना के दाम में बेचकर लाभ कमाते हैं। इस तरह अब तक हम लोग सोनभद्र, मिर्जापुर और इलाहाबाद के कई लोगों को राह चलते ठग चुके हैं। उनके नाम पता तो हमारे पास नहीं हैं लेकिन कुछ के नाम व मोबाइल नंबर हैं, जो मैं आपको दे देता हूं। हम लोग चट्टी चौराहों पर काम करने वालों या छोटी मोटी दुकानों के दुकानदारों को अपने या

अपने किसी खास के घर में खुदाई में मिले होने का और किसी परिजन की तबियत खराब होने का बहाना बताकर और पैसे की इमरजेंसी/ मजबूरी बताकर असली कीमत से कम में बेचना मजबूरी बताकर उन्हें झांसे में ले लेते हैं, तब वो आसानी से खरीद लेते हैं और हम झांसा देकर बेचकर निकल जाते हैं। वही करने आए थे संतोष जायसवाल नाम के यहीं राबर्ट्सगंज के एक व्यक्ति, जिनका मोबाइल नंबर - 9795015585 है को झांसा देकर बुलाए थे वो खरीदने के लिए आने वाला था कि आप लोगों ने हम दोनों को पकड़ लिया और हम लोगों का काम बिगड़ गया। संतोष जायसवाल के बताए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन फोन नहीं मिला। पूछने पर रवि विश्वकर्मा बता रहा है कि सिक्कों की व्यवस्था यह विजय कुमार अरोरा करते हैं और फिर हम दोनों मिलकर सिक्कों के ग्राहक ढूंढते हैं, पूछने पर विजय कुमार अरोरा ने रवि विश्वकर्मा की बातों का समर्थन करते हुए बता रहा है कि हमारे लिए सिक्कों की व्यवस्था गुलाब मल्लाह निवासी फुलवा थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज मोबाइल नंबर - 8957860121 देता है। विजय कुमार अरोरा ने बताया कि गुलाब ही बता सकता है कि वह सिक्कों को कहां से लाता है । गिरफ्तारशुदा रवि विश्वकर्मा ने बताय कि हमने ईश्वर उर्फ बबलू विश्वकर्मा निवासी ओबरा जिला सोनभद्र मोबाइल नंबर - 9919181481 को करीब एक माह पहले 600 ग्राम सिक्का देकर ठगा था और विजय कुमार अरोरा उपरोक्त ने बताया कि हमने करीब एक दो माह पूर्व मैंने सलीम उर्फ राजू निवासी जगदीशपुर थाना लालगंज जिला मिर्जापुर, मोबाइल नंबर - 9718862922 और उसके साथी नन्हें उर्फ नरेंद्र कुशवाहा निवासी ग्राम मांही कौंधियारा जिला प्रयागराज मोबाइल नंबर 8009299899 को झांसा देकर करीब एक किलो सिक्का पांच हजार में बेच दिया था । बरामद सिक्कों को अपने पास रखने, परिवहन करने और खरीदने- बेचने का वैध अधिकार पत्र मांगा गया दोनो अभियुक्तों में से कोई भी प्रपत्र प्रस्तुत नही किया गया । रवि विश्वकर्मा उपरोक्त के कब्जे से बरामद कुल सिक्कों का वजन 04 किलोग्राम तथा विजय कुमार अरोरा उपरोक्त के कब्जे से बरामद मानव आकृति वाले कुल सिक्कों का वजन 01 किलो 300 ग्राम तथा ONE RUPEE INDIA 1907 मार्का वाले कुल सिक्कों का वजन 01 किलो 400 ग्राम पाया गया ।

<u>बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

1.एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री राम स्वरूप वर्मा, जनपद सोनभद्र ।

2.एसआई विमलेश कुमार सिंह, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र ।

3.एचसी जगदीश मौर्य, एचसी शशि प्रताप सिंह, एचसी सतीश पटेल, कां0 रितेश पटेल, कां0अजीत यादव, कां0 जय प्रकाश सरोज एसओजी टीम, जनपद सोनभद्र । चालक मुख्य आरक्षी नंदलाल, कां0 कृष्णा यादव, कां0 रमेश गौड़ , थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र ।